कार्यालय कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद, इटारसी

क्रं/बोर्ड/निर्माण/वाहन/20–21/321   इटारसी दिनांक 18/11/2020

<u>निविदा आंमत्रण सूचना</u>

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के तकनीकी संभाग, होशंगाबाद,इटारसी के लिए वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु म0प्र0 शासन के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत फर्म/संस्थाओं/ट्रेवल एजेंसियों सें तीन लिफाफा पद्वति में मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/(कोरियर सर्विस मान्य नहीं होगी) कें माध्यम से दिनांक 14.12.2020 को समय 5:30 बजे तक आंमत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.12.2020 को समय 12:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगीं । निविदा प्रपत्र राशि रू. 1000/–जमा कर दिनांक 11.12.2020 तक कार्यालयीन समय में (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) उक्त कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

शर्ते कार्यालयीन समय में कार्यालय में आकर देखी जा सकती है । निविदा विज्ञप्ति तथा शर्ते मंडी बोर्ड की वेबसाइट wwwmpmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है ।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की शर्ते

1. निविदायें तीन लिफाफा पद्वति में आमंत्रित की गई है, जिसके लिए प्रथम लिफाफा (अ) में धरोहर राशि, द्वितीय लिफाफा (ब) में तकनीकी अर्हता से संबधित अभिलेख एवं तृतीय लिफाफा (स) में वित्तीय आफर प्रस्तुंत किया जावेगा। इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत किया जावेगा। इन तीनों लिफाफों को क्रमशः उपयुक्तता निर्धारण पश्चात् खोला जावेगा अर्थात धरोहर राशि व तकनीकी अर्हता संबंधी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय आफर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा नहीं ।
2. तकनीकी अर्हता संबंधी अभिलेख लिफाफा (ब) में निम्नानुसार प्रस्तुत किये जावेगे :–
    1. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र ।
    2. सर्विस टैक्स, आयकर पंजीयन की छायाप्रति एवं विगत वर्ष का आयकर चुकारा प्रमाण पत्र ।
    3. विगत 03 वर्षो में शासकीय, अर्द्धशासकीय एंव अन्य रेपूटेड कंपनी में सफलतापूर्वक वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र ।
    4. टैक्सी कोटे में पंजीकृत कम से कम 04 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. निविदा के साथ धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में जो निविदा अवधि तक के लिये कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी के नाम बनी हो, प्रस्तुत की जावेगी ।
4. अन्य शर्ते डिटेल्ड टेन्डर डाक्यूमेंट के अनुसार रहेगी ।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद,इटारसी

निविदा प्रपत्र (बोलेरो वाहन)

फर्म का नाम :–...

सेवाकर पंजीयन कंमाक :–..''अ''..

धरोहर राशि :–...

रूपये ....डी0डी0 कंमाक ....दिनांक ....

''क'' दर मासिक के आधार पर

माडल बोलेरो (लोअर सेगमेन्ट)

राशि अंको में राशि शब्दों में

रूपये................................/– प्रतिमाह रूपये................................/– प्रतिमाह

नोटः– उपरोक्त दरें वाहन के स्थानीय 100 कि0मी0 एवं 10 घंटे प्रतिदिन के उपयोग हेतु जिसमें पेट्रोल एवं डीजल की खपत भी सम्मिलित है एक मुश्त प्रतिमाह दी जानी है स्थानीय उपयोग में इटारसी एवं संभागीय मुख्यालय होशंगाबाद भ्रमण सम्मिलित रहेगी एवं 1000 कि0मी0 के पश्चात ही प्रवास की दरें लागू होगी।

''ख'' दरें प्रवास पर जाने हेतु

मॉडल बोलेरो (लोअर सेगमेंट)

राशि अंको में रूपये................................/– प्रति किलोमीटर

राशि शब्दों में रूपये................................/– प्रति किलोमीटर

नोटः–

01 वाहन मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में प्रवास दरें प्रति कि0मी0 दी जानी है।

02 उपरोक्त दरों के अतिरिक्त वाहन चालक को प्रवास भत्ते एवं हाल्टिंग हेतु कोई पृथक से राशि देय नही होगी ।

03 उपरोक्त दरें सेवाकर सहित दी जावेगी इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी। देय भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटोती की जावेगी।

हस्ताक्षर

नाम :–

पताः–

मोबाईल नं0ः–

दूरभाष कंमाकः–

निविदा प्रपत्र

फर्म का नाम :-
सेवाकर का पंजीयन कमांक :-
धरोहर राशि
वाहन का प्रकार :- इंडिका / इंडिगो (नान ए.सी.)

1. दर प्रति किलोमीटर (स्थानीय / प्रवास पर) :-
2. दर प्रति दिन (08घंटे / 80किमी0) :-
3. अतिरिक्त चार्ज प्रति घंटा (डे डिस्टेंसन पर आवर) :-
4. रात्रि विश्राम चार्ज (नाइट हाल्ट) :-

शर्तें:-

1. वाहन के स्थानीय / प्रवास पर प्रति कि.मी. की दर उपरोक्तानुसार देय होगी ।
2. वाहन के प्रति दिन के मान से उपयोग पर 08 घंटे / 80 कि.मी. की सीमा रहेगी, इसके पश्चात् अतिरिक्त चार्ज देय होगा ।
3. रात्रिकालीन विश्राम चार्जेस की गणना रात्रि 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक मान्य की जावेगी ।
4. सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा टोलटेक्स, पार्किंग, बोर्डर टैक्स, इत्यादि का भुगतान भी पृथक से किया जावेगा। देय भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।

हस्ताक्षर
नाम---------
पता-----------------
दूरभाष कमांक-------------
मोबाईल नं0--------------

:– वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की अन्य शर्ते :–

1. वाहन वर्ष 2019 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
2. वाहन किराये की दरें नियमानुसार सेवाकर हेतु पंजीकृत फर्मो/संस्थाओं से मान्य की जावेगी ।
3. वाहन का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे के अन्तर्गत होना अनिवार्य होगा ।
4. वाहन चालक संबंधित एजेंसी का रहेगा,जिसके पास नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस होना अनविार्य होगा।
5. निविदा दरें कार्यादेश जारी करने से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेंगी तथा इसके पश्चात् दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी ।
6. वाहन के पंजीयन एवं इन्श्योरेंस पर होने वाले व्यय इत्यादि समस्त दायित्वों का वाहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा। वाहन की बीमा पालिसी संपूर्ण उपयोग अवधि में होना चाहिए,जिसमें वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों का बीमा भी सम्मिलित है। बीमे की एक सत्यापित प्रति अनुबंधकर्ता के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। बीमा समाप्त होने के पूर्व समयावधि में बीमे का नवीनीकरण तत्काल कराने का दायित्व निविदाकर का होगा।
7. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदायकर्ता का होगा ।
8. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा आयकर पैन नम्बर,सर्विस टैक्स, पंजीयन नम्बर से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा ।
9. अनुबंध अवधि में वाहन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में टूट–फूट,चोरी,हानि,दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा । इसकी हानि की प्रतिपूर्ति बीमा एजेंसी से प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यवाही एजेंसी द्वारा अपने स्तर से की जावेगी । इस संबंध में बोर्ड कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा ।
10. वाहन दैनिक तथा किलोमीटर आधार पर उपलब्ध करानें में वाहन चालक, डीजल, आयल, वाहन का रख–रखाव, मरम्मत आदि सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी ।
11. निविदाकारों द्वारा वाहन की दरें निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार वाहन स्थानीय/ प्रवास पर जाने की स्थिति में प्रति किलोमीटर आधार पर तथा प्रतिदिन उपयोग हेतु दैनिक आधार पर दरें दी जावेगी। दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी । केवल सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा।
12. संबंधित सहायक यंत्रियों को वाहन उनके मुख्यालय से उपलब्ध कराया जावेगा तथा वाहन का उपयोग उनके द्वारा दौरे पर व आवश्यक विभागीय/शासकीय कार्य हेतु किया जावेगा ।
13. तकनीकी कार्यालय होशंगाबाद के सहायक यंत्री उपसंभाग इटारसी को इटारसी से सहायक यंत्री उपसंभाग हरदा को हरदा से, सहायक यंत्री उपसंभाग बैतूल को बैतूल से वाहन उपलब्ध कराना होगा ।
14. वाहन माह में राशि रू 17,000/– प्रति सहायक यंत्री के मान से उक्त अधिकतम व्यय सीमा तक चलाया जा सकेगा ।
15. प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा ।
16. किराये की दरें केवल नान ए.सी. इंडिका/इंडिगो, के लिए दी जावगी ।

निरन्तर..................

17. निविदा के साथ अमानत राशि रू 20000/-(बीस हजार रू मात्र) का डी.डी./एफ.डी.आर. कार्यपालन यंत्री म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद,इटारसी के नाम देय होगी।
18. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विवणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा मध्यस्थता की कार्यवाही प्रबंध संचालक कक्ष भोपाल में संचालित होगी ।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी